न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 150/2023

अनवान : –

1. दिनेश पुत्र रमेश फौत जरिये बली कुदरती माता सुमित्रा पत्नी रमेश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. रमेश पुत्र रमेश फौत जरिये बली कुदरती माता सुमित्रा पत्नी रमेश जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. सुमित्रा पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायलान

बनाम्

1. मनफुल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. रोहताश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. जसवन्त पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. सुनिता पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. मोनू(माना) पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर–फौत
   5/1. सुरेन्द्र पुत्र मोनू (माना) पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी उज्जवास तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 27/05/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 257/248 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो सायल के दादा के नाम दर्ज थी सायलान के दादा ने सायलान के पिता के बाल्यकाल का फायदा उठाते हुए अपने नाम दर्ज करवा ली सायलान के पिता के बाल्यकाल का फायदा उठाते हुए अपने नाम दर्ज करवा ली सायलान के पिता को फौत हुए 6 वर्ष हो चुके है तथा सायलान के दादा 90 वर्षो का हो चुका है इनके सोचने समझने की शक्ति प्रायः [illegible] चुकी है गैरसायल स0 1 सायलान के दादा अपने अन्य लड़कों के बहकावे [illegible] भूमि को बेचना चाहते है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में [illegible] हो जाते है तो सायलान को [illegible] क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 11 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/18, 61/60 व 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 257/248 संयुक्त खाता की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हक हिस्सा में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि प्रार्थीगण के हक हिस्सा को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5/1 की तरफ से श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीद शुदा भूमि है सायल ने तथ्यों को छुपाकर वाद भूमि दादालाई का कथन कर अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल संख्या 1 जो सायल का पिता है के नाम दर्ज है वाद भूमि पैतृक भूमि है गैरसायल संख्या 1 पैतृक भूमि को रहन, बैय करने पर उतारू है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है उक्त भूमि में सायलान का कोई हक हिस्सा नही है। सायलान द्वारा तथ्य छुपाकर निषेधाज्ञा प्राप्त की है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है अगर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करता है तो अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की हुई है। बैयनामा [illegible] में प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। वाद भूमि स्वयं अर्जित भूमि [illegible] प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 21.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested